



GOVERNMENT OF HARYANA

ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

OF

**RENEWABLE ENERGY
DEPARTMENT, HARYANA**

FOR

THE YEAR 2012-2013.

**REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF
RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, HARYANA
FOR THE YEAR 2012-13**

No. DRE/2012/..... During the year, for popularizing the applications of various non-conventional energy sources in the State, Solar Photovoltaic Programme, Solar Thermal Programme, Institutional Biogas Programme, and Wind Monitoring Projects etc. were taken up for implementation by the Department.

The Department has total staff strength of 152, out of which 125 posts are filled up and 27 posts remained vacant.

To implement various programmes of the Department, an expenditure of Rs. 777.63 lacs was incurred under the budget head *2810-Non-Conventional Sources of Energy, Plan / Non-Plan and budget head *3425-Rural Energy Programme State Plan/Non-Plan, an expenditure of Rs. 349.43 lacs was incurred.

1. ADMINISTRATIVE SET UP OF DEPARTMENT OF RENEWABLE ENERGY, HARYANA

To meet the expenditure of administrative set up of Department and HAREDA, an expenditure of Rs.507.48 lacs was incurred.

2. SOLAR PHOTOVOLTAIC PROGRAMME.

Under the Solar Photovoltaic Programme, 3214 nos. of CFL based home lighting systems, 3111 Solar street lights were installed. Besides this, 3565 solar street lighting systems were installed in 98 SC dominated villages of Hisar, Karnal, Palwal, Mewat, Bhiwani, Rohtak, Jhajjar, Mahendergarh, Panchkula, Kaithal, Sonapat and Hisar district at a cost of Rs. 516.92 lac out of which Rs. 1,15,50,600 was provided by the MNRE, Gol and balance of Rs. 4,01,41,900 was provided by the SCBC Department, Haryana, 9 SPV Power Plants of 224 KW capacity, and 74 solar water pumps were provided to the farmers at a cost of Rs.333.60 lacs for which MNRE/GOI has provided Central Financial Assistance of Rs. 100.08 lacs and State Govt. provided Rs. 100.08 lacs and balance was borne by the farmers.

(ii)

(i) CFL based Home Lighting Systems

During the year, a total of 2504 nos. of systems were provided to the individual beneficiaries on which an amount of Rs. 100.15 Lacs was incurred. Also, during the year a sum of Rs. 24.35 lacs has been utilized to achieve the targets of 710 no. of system @ Rs. 3430/- per system.

(ii) Solar Street Lighting Programme

During the year, 425 solar street lights were installed in various districts of the State. An amount of Rs. 17 lacs was incurred on providing state subsidy @ Rs.4000/- per street light on these systems. Besides this, 3565 solar street lighting systems were installed in 98 SC dominated villages of Hisar, Karnal, Palwal, Mewat, Bhiwani, Rohtak, Jhajjar, Mahendergarh, Panchkula, Kaithal, Sonapat and Hisar district at a cost of Rs 516.92 lac out of which Rs. 1,15,50,600 was provided by the MNRE, GoI and balance of Rs. 4,01,41,900 was provided by the SCBC Department, Haryana. 2686 street lights were also installed in the state with state financial assistance with total state financial assistance of Rs.155.61 lac.

(iii) Solar Power Plants Programme

During the year, 9 solar power plants of 224 kW were installed in the State with CFA of Rs.91.84 lac from the MNRE, GoI and Rs. 8.46 lacs from the State Govt.

(iv) SOLAR WATER PUMPS PROGRAMME

During the year, HAREDA has promoted 74 pumps(2HP(46) & 4.6 HP(28) with the 30% financial support from Ministry of New and Renewable Energy, GoI and 30% from State Government. The cost of 1800 watt pump set was Rs. 2.90 lac and 4800 watt submersible pump set was Rs. 7.15 lac.

3. SOLAR THERMAL ENERGY PROGRAMME

Under this category, Solar Water Heating Systems Programme, Solar Cooker Programme (Box / Dish), Aditya Solar Shop and Solar Passive Architecture Programme are being implemented.

(i) SOLAR WATER HEATING PROGRAMME

During the year, In Social Sector 5 nos. of systems of 11,300 LPD capacity were installed on which state subsidy of Rs. 15.00 lacs and in Domestic sector Rs.50 lacs state subsidy was provided.

(iii)

(ii) SOLAR COOKER PROGRAMME

During the year, a 500 Dish type Solar Cooker and 1000 Box type were sanctioned by the MNRE and State Govt. Out of which 1000 box type solar cookers were procured and distributed to promote energy conservation in cooking Sector and tender is under process for 500 Dish type solar cookers.

(iii) ADITYA SOLAR SHOP SCHEME

During the year, HAREDA invited the Expression of Interest for opening one Akshay Urja Shop in each of 9 no. Districts of Haryana State i.e. Fatehabad, Rohtak, Sonapat, Bhiwani, Ambala, Y. Nagar, Palwal, Mewat and Jhajjar for sale and repair of Solar devices & Energy efficient devices. So, at the end of the year, 18 Akshay Urja Shops were functional in the State.

4. BIOMASS PROGRAMME

HAREDA is promoting following schemes to utilize the surplus biomass available in the State:—

(i) BIOMASS POWER PROJECTS

During the year, the progress of the allotted projects was regularly reviewed and the biomass power projects of 19.4 MW total capacity at Mahendergarh and Bhiwani were in final stages of completion. The 7.5 MW biomass power project allotted to M/s WSB Energy Ltd., Phagwara for Fatehabad was cancelled as the land for the project could not be arranged by the firm.

(ii) BIOMASS COGENERATION PROJECTS

During the year 2012-13, 3 projects of 9.16 MW were commissioned in M/s SSA International, Samalkha, Panipat(1.06 MW), M/s NV Distilleries, Badhoul, Ambala(2.10 MW) and M/s Best Food International Pvt Ltd., Indri, Karnal (6 MW), Central Financial Assistance @ Rs.20 lac per MW from Ministry of New & Renewable Energy, Govt. of India.

(iii) BIOGAS BASED POWER PROJECTS

During the year 2012-13, a project of 20 KW was installed at Utsuk Dairy Pvt. Ltd., Village- Saherwa, Hisar with a Central Financial Assistance of Rs. 8 lacs from the MNRE/GOI.

5. SMALL HYDRO POWER PROJECTS

During this year, Detailed Project Reports of Moosapur, Khukhani and Ahamadapur projects were received which were got appraised from the consultant appointed by HAREDA. A copy of the appraised DPRs was forwarded

to the Haryana Irrigation Department for their comments. At the end of this financial year, total 9 Small Hydro Power Projects of cumulative 73.30 MW capacity were setup.

6. INSTITUTIONAL / NIGHT SOIL BIOGAS PROGRAMME

In Haryana, HAREDA is implementing this scheme by installing institutional Biogas Plants in Goshala's, dairies, institutions having sufficient dung available. To promote the installation of IBP's, State Govt. is providing financial assistance @ 40% of the plant cost.

During the year, three institutional biogas plant of 255 Cu M. were set up at following sites for which State subsidy amounting to Rs 9,02,054 was provided:

| Sr. No. | Site | Capacity | State subsidy provided (Rs.) |
|---------|---|----------|------------------------------|
| 1. | Vaidic Sadhan Ashram, VPO Sadhipur, Distt. Yamuna Nagar | 85 Cu.M. | 3,51,902 |
| 2. | Deep Dairy Farm, Village Bhugana, Distt Hisar | 85 Cu.M. | 3,06,610 |
| 3. | Shree Balaji Goshala, Village Mangli, District Hisar | 85 Cu.M. | 2,43,542 |

At the end of this financial year, total 104 Institutional Biogas Plants of cumulative 6105 Cu.M. capacity were set up.

7. ENERGY CONSERVATION PROGRAMME

During the year, about 42 MW energy was saved in the State from energy conservation measures.

8. ENERGY CONSERVATION AWARDS

Under the Energy Conservation Award Scheme Awards are given to those consumers of Industrial, Commercial, Govt. / Semi Govt. Buildings and Educational Institutes sector who have excelled in adopting the various energy conservation measures in their buildings/ units to save electricity / fuel energy. The award money under this scheme is Rs. 0.50-2.00 lacs. During the year, Department has utilized Rs.4.00 lacs as award money.

9. INCENTIVES TO GRAM PANCHAYATS

During the year, an amount of Rs.25.00 lacs was spent towards given the awards to the Panchayats for promotion/installation of new and renewable energy sources and energy conservation.

10. IT PLAN

During the year, a grant of Rs. 20 lacs was provided under State IT Plan and an expenditure of Rs.20.00 lac was incurred for promoting of IT activities in the department. Also, the website of the department was updated regularly with latest schemes, tenders and other information about the new projects/schemes.

11. BAL URJA RAKSHAK MISSION (BURM)

To inculcate the Energy values and conservation habits in the young minds by encouraging learning through participation for promote a sustainable future the department has initiated the **Bal Urja Rakshak Mission (BURM)**. During the year, this programme was extend in district Rohtak & Narnaul with the State budget of Rs.5.00 lacs for each district.

12. ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN

The office building of the Department, based on energy efficient and Solar Passive technologies was constructed at Sector 17, Panchkula and occupied by the Department in Dec., 2012. During the year, a budget provision of Rs. 265.00 lacs has been made.

13. PUBLICITY & AWARENESS PROGRAMME

Under Publicity and awareness programme, during the year, a grant of Rs. 10.00 lacs were received from State Govt. Under this programme, various activities were carried out.

14. INFORMATION REGARDING COMPLAINTS WITH THE VIGILANCE DEPARTMENT

No complaint of any officer/official of this Department is pending with the Vigilance Department for the period of the report under consideration.

Date Chandigarh, the
21st July, 2016

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Govt. of Haryana,
Renewable Energy Department

वर्ष 2012-2013 के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

क्रमांक: डी.आर.ई./2012/.....वर्ष के दौरान विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा उर्जा संरक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिये, सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम, सौर तापीय कार्यक्रम, संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम इत्यादि क्रियान्वित किए गए।

विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या 152 है। जिसमें से 125 पद भरे हुए हैं तथा 27 पद रिक्त हैं।

विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर बजट शीर्ष 2810- पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के अन्तर्गत राज्य योजना व गैर योजना से 777.63 लाख रुपये व शीर्ष 3425-ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 349.43 लाख रुपये की धन राशि व्यय की गई।

1. अक्षय ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था।

वर्ष के दौरान विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पर 507.48 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

2. सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान, सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम के अन्तर्गत, 5945 सीफएल आधारित घरेलू लाईटिंग सिस्टम और 3111 सौर स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त 3565 सौर स्ट्रीट लाइट्स सिस्टमस जिला हिसार, करनाल, पलवल, नेवात, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, कंधल और सोनीपत के 98 बाहुबल अनुसूचित जाति के गांव में 516.92 लाख की लागत से स्थापित किये गये जिसमें से 115.51 लाख रुपये की राशि नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार और बकाया की 401.42 लाख की राशि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग विभाग, हरियाणा द्वारा उपलब्ध करवाई गई। 224 कैंवी क्षमता के 9 सौर विद्युत प्लांट्स और 333.60 लाख रुपये की लागत के 74 सौर उर्जा चालित पम्प किसानों को उपलब्ध करवाये गए जिसमें से नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 100.08 लाख रुपये और राज्य सरकार 100.08 लाख रुपये की उपलब्ध करवाई गई और बकाया राशि किसानों द्वारा वहन की गई।

(i) सी०एफ०एल० आधारित सौर घरेलू, प्रकाश संयंत्र

इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष में 2504 सौर घरेलू प्रकाश संयंत्र पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए गए जिस पर राज्य योजना से 100.15 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

वर्ष के दौरान 3430/- रुपये प्रति उपकरण के हिसाब से 710 उपकरण का लक्ष्य प्राप्त करते हैं 24.35 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(ii) सौर पथ प्रकाश कार्यक्रम

वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में 425 सौर स्ट्रीट लाईटें स्थापित की गई जिन पर 4000 रुपये प्रति स्ट्रीट लाईट की दर से 20 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया गया। इसके इलावा, 516.92 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से 3565 सौर स्ट्रीट लाईटें 98 अनुसूचित जाति के बहुल गांव में लगाई गई।

(iii) सौर पावर प्लांट कार्यक्रम

वर्ष के दौरान राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 91, 84 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता और 8.46 लाख रुपये राज्य बजट से 224 किलोवाट के 9 सौर पावर प्लांट स्थापित किये गये।

(iv) सौर उर्जा चालित पम्प कार्यक्रम

वर्ष 2012-13 में हरेखा ने 74 पम्प (2HP(46)& 4.6 HP (28)) लगवाए जिस पर 30 प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय मन्त्रालय और 30 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। 1800 वाट पम्प की कीमत 2.9 लाख एवं 4800 वाट की कीमत 7.15 लाख रुपये है।

3. सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत सौर वाटर हीटिंग उपकरण कार्यक्रम, सौर कुकर (बॉक्स/ डिश) आदित्य सोलर शॉप और सौर निष्क्रिय वास्तुकला कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं:-

(i) सौर वाटर हीटिंग कार्यक्रम

इस वर्ष में 11,300 लिटर प्रतिदिन के 5 समाजिक क्षेत्र में सौर गीजर लगाए गए जिसमें रुपये 15.00 लाख की अनुदान राशि दी गई और रु 50.00 लाख की अनुदान राशि से घरेलू क्षेत्र सौर गीजर पर दी गई।

(ii) सौर कुकर कार्यक्रम

वर्ष के दौरान 500 डिश टाईप सौर कुकर और 1000 बॉक्स टाईप सौर कुकर को भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई जिसमें से 1000 बॉक्स टाईप सौर कुकर खाना बनाने के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए वितरित किए गए तथा 500 डिश टाईप सौर कुकर की निविदा विचारधीन थी।

(iii) आदित्य सोलर शॉप स्कीम

इस वर्ष 9 नई शॉप जिला फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, अम्बाला, गुमानगर, पलवल, नेवात एवं झज्जर में खोली गई। इस वर्ष के अन्त तक अक्षय ऊर्जा शॉप 18 जिलों में काम कर रही है।

4. बायोमास कार्यक्रम

बायोमास के प्रयोग के लिए हरेडा द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है:-

(i) बायोमास बिजली परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान आवंटित परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की गई तथा महेन्द्रगढ़ एवं भिवानी में लगने वाली बायोमास विद्युत परियोजनाएँ पूर्णता के अंतिम चरणों में थी। मैसर्स डब्ल्यू.एस.बी. एनर्जी लिमिटेड, फगवाडा को फतेहाबाद के लिए आवंटित 7.5 मेगावाट की विद्युत परियोजना भूमि की व्यवस्था न हो सकने के कारण निरस्त की गई।

(ii) बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान 9.16 मेगावाट की 3 परियोजनाएँ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से मैसर्स एस.एस.ए. इंटरनेशनल, स्मालर्बा, पानीपत (1.06 मेगावाट), मैसर्स एन.बी. डिस्टिलरीज, दहीली, अम्बाला (2.10 मेगावाट) एवं मैसर्स बैस्ट फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, करनाल (6 मेगावाट) में स्थापित की गई।

(iii) बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाएँ

वर्ष में 20 किलोवाट की एक परियोजना उत्सुक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, गाँव-सहरवा, हिसार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 8.00 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से स्थापित की गई।

5. लघु जल विद्युत परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान, हरेडा द्वारा नियुक्त सलाहकार से प्राप्त भूसापुर, खुखनी एवं अहमदलपुर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स का आकलन किया गया। आकलन की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स की एक प्रति सिंधाई विभाग, हरियाणा को टिप्पणी के लिये भेजी गयी थी। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 9 लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र 73.30 मेगावाट क्षमता के स्थापित किए जा चुके हैं।

6. संस्थागत बायोमास कार्यक्रम

हरियाणा में संस्थागत बायोमास संयंत्र लगाने हेतु, उन संस्थानों जैसे गऊशाला, दुग्ध डेरी आदि में जहाँ गोबर प्रत्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह स्कीम हरेडा द्वारा लागू की जा रही है। संस्थागत बायोमास संयंत्र को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार संयंत्र की कुल लागत 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

वर्ष के दौरान तीन संस्थागत बायोमास संयंत्र 255 वृद्धिक मीटर क्षमता के लगाए गए जिस पर 9,02,054 रुपये राज्य अनुदान राशि के रूप दिए गए जो निम्न प्रकार है:-

| क्रम सं० | निर्माण स्थल | क्षमता | राज्य अनुदान राशि (रुपये) |
|----------|--|-----------------|---------------------------|
| 1. | वैदिक सदन आश्रम, गाँव व डाकखाना-सावीपुर, यमुनागर | 85 वृद्धिक मीटर | 3,51,902 |
| 2. | दीप खायरी फार्म, गाँव-भागाना, हिसार | 85 वृद्धिक मीटर | 3,06,610 |
| 3. | श्री बालाजी गऊशाला, गाँव-संगली, हिसार | 85 वृद्धिक मीटर | 2,43,542 |

इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 6105 वृद्धिक मीटर क्षमता के कुल 104 संस्थागत बायोमास संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

7. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा ने वर्ष 2012-13 के दौरान ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर नेटिड प्रमाण पत्र का पुरस्कार प्राप्त किया। लगभग 42 मेगावाट ऊर्जा, राज्य में ऊर्जा संतुलन कार्यक्रमों द्वारा बचाई गई। राज्य सरकार से 275.00 लाख रुपये की राशि और ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो, भारत सरकार से 46.50 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है जिसमें 281.00 लाख रुपये की राशि ऊर्जा संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों पर उपयोग किए गए।

8. ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार स्कीम

ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना के अंतर्गत उद्योग, व्यवसायिक, सरकारी / अधिसरकारी भवनों तथा शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने नदनों / इकाइयों में बिजली की बचत करने के लिए विभिन्न ऊर्जा ईंधन संरक्षण उपायों को अपनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य उद्योग, व्यवसायिक, सरकारी / अधिसरकारी भवनों एवं शैक्षणिक संस्थान श्रेणी के उपभोक्ताओं के ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को पुरस्कार / प्रतिभा प्रमाण पत्र देकर पहचान देना है। इस योजना के अंतर्गत 0.50 लाख रुपए से लेकर 2.0 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान 11 संगठनों / आवेदकों को पुरस्कार दिए गए।

9. प्राग पंचायतों को प्रोत्साहन देने बारे स्कीम

विभाग द्वारा उन प्राग पंचायतों को, जिनके द्वारा अपने गाँव में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अक्षय ऊर्जा स्तंभों पर आधारित उपकरण लगाए हैं और ऊर्जा बचत के

कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रगण्य कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि देने वाली योजना आरम्भ की गई। वर्ष 2012-13 के दौरान जिला व राज्य स्तर पर सार्वजनिक कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए 23.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

10. अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया

पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त, 2012 को राज्य स्तरीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में पंचकुला में सफलतापूर्वक मनाया गया। इस दिवस पर राज्य के सभी जिलों में पोस्टर प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, सैलेगन लेखन प्रतियोगिता, रैली तथा मनीषकारणीय ऊर्जा उपकरण पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय स्तरीय समारोह के बुकिंग प्रश्न पंचायतों को अपने गावों में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सचिव, जिला व राज्य स्तर पर किये गये उत्कृष्ट कार्यों को लिये नगद पुरस्कार व निरूद्ध टैकन प्रोत्साहित किया गया।

11. सूचना प्रौद्योगिकी योजना

सूचना प्रौद्योगिकी नीति केअहत कार्यालय में सूचारु कार्य के लिए कम्प्यूटर तथा अन्य सफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाना है जिसके फलस्वरूप जिला कार्यालयों तथा मुख्यालय में विभिन्न परिचालन/कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना/उपटा जल्दी से स्थानान्तरण किया जा सके। इसी कार्य हेतु विभाग द्वारा वार्षिक योजना में सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत नई सफ्टवेयर एट तकनीक के कार्य के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है।

वर्ष 2012-13 में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत 20.00 लाख रुपये की उपलब्ध करवाई गई।

12. बाल ऊर्जा रक्षक मिशन कार्यक्रम

जिन्नी की कार्यक्रम की सफलता के लिये उसमें युवा वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। इसीलिये विभाग ने अपने ऊर्जा संचालन कार्यक्रम में छात्रों को सम्मिलित करने के लिये बाल ऊर्जा रक्षक मिशन कार्यक्रम तैयार किया है। वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम का विस्तार जिला सोहसक व नारनौल में राज्य बजट के 6.00 लाख रुपये प्रति जिला की राशि से विस्तार किया गया।

13. ऊर्जा कुशल भवन कार्यक्रम

ऊर्जा सक्षम तकनीक पर आधारित कार्यालय भवन का निर्माण पंचकुला के सीक्टर-17 में किया गया है जिसके लिए वर्ष 2012-13 में 205.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

14. प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष के दौरान प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम में अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 20.00 लाख रुपये की राशि दी गई। इस कार्यक्रम को अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

15. चौकसी विभाग को भोजी गर्ड शिकायतों सम्बन्धी

शिफ्टधीन अवधि के दौरान इस विभाग को किसी अधिकारी / कर्मचारी के निरूद्ध कोई जॉब/शिकायत चौकसी विभाग के विचारणीय नहीं है।

अ.कुल पुरवा,
मानव संसाधन, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा योजना।

दिनांक छप्पठीगठ :
21 जुलाई, 2016

वर्ष 2012-2013 के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अक्षय उर्जा विभाग राज्य में नवीनीकरण एवं गैर-पारम्परिक से संबंधित नीतियां बनाने एवं ऊर्जा के स्रोतों को लोकप्रिय बनाने संबंधी कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी हैं। वर्तमान में यह सौर ऊर्जा, बायोगैस, माईक्रो हाईडल, बायोमास ऊर्जा इत्यादि के उपयोग के लिए विभिन्न कार्यक्रम निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत किये जा रहे हैं:-

क. 2810-गैर-पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत (योजना एवं गैर योजना)

ख. 3425-समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (योजना एवं गैर योजना)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार और हरेडा द्वारा उपलब्ध करवाई जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन का पूरा लाभ उठाने के लिए और क्रियान्वन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य ऊर्जा अभिकरण (हरेडा) का गठन किया। यह एजेन्सी राज्य में नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में केन्द्र और राज्य द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है। ये परियोजनाएं/कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:-

क. विद्युत परियोजनाएं

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह बायोमास, नगरीय कचरे, समाल हाईड्रो, विन्ड और एसपीवी पर आधारित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

ख. बायो-एनर्जी कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह संस्थागत/मानव मलमूत्र आधारित बायोगैस कार्यक्रम, बायोमास एसैसामैन्ट परियोजना तथा बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम पर आधारित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

ग. सोलर थर्मल कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत यह सौर जल तापन प्रणाली, सोलर कुकर स्कीम (बाक्स/सामुदायिक/डिश टाईप), आदित्य सोलर शोप और सौर पैसिव आर्कीटेक्चर कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है।

घ. सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत हरेडा सोलर लालटेन, सौर घरेलू प्रकाश प्रणाली, सौर पथ प्रकाश प्रणाली, सौर जल नलकूप प्रणाली और फोटोवोल्टिक गांव विद्युतीकरण स्कीम पर आधारित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

ड. विशेष क्षेत्र विकास परियोजनाएँ

ऊर्जा पार्क, पवन ऊर्जा कार्यक्रम क्रियान्वित करना।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर परमश्रेष्ठ राष्ट्रपति ने दिनांक 22-11-2007 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हरियाणा राज्य के तीन राष्ट्रीय पुरस्कार सोलर कुकर अर्बन कार्यक्रम के लिए प्रथम तथा सौर फोटोवोल्टिक प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किये।

(i) बजट शीर्ष 2810 गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत

क. राज्य योजना - भाग-1

1. अक्षय ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के नाम से एक नया विभाग 19 सितम्बर, 1995 में स्थापित किया गया ताकि यह गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा एवं विकास की नीति और आवश्यक नापदण्ड के बारे में सरकार को परामर्श दे सके और परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वन के लिए योजना बनाएँ। विभाग में कुल 152 पद स्वीकृत हैं। अमला जो 31-3-2013 को कार्यरत था, का विस्तृत विवरण अनुबन्ध-2 में दिया गया है।

(i) हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा)

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निदेशालय के विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपने स्तर पर या केन्द्र सरकार के विभिन्न वित्तीय विभागों/एजेंसियों जैसे हरेडा/अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंक, यूरोपियन आयोग, यूएनडीपी इत्यादि के वित्तीय सहयोग के साथ राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण के नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हरेडा में 19 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 11 पद भरे हुए हैं। 31-3-2013 तक हरेडा के अमले की स्थिति अनुबन्ध-3 पर है।

विभाग एवं हरेडा द्वारा बलाई जा रही स्कीमों का विवरण :

2. सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान, सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम के अन्तर्गत, 5945 सौरपल आधारित घरेलू लाईटिंग सिस्टम और 3111 सौर स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त 3565 सौर स्ट्रीट लाइट्स सिस्टमस जिला हिसार, करनाल, पलवल, मेवात, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, कैथल और सोनीपत के 98 बाहुल अनुसूचित जाति के गांव में 516.92 लाख की लागत से स्थापित किये गये जिसमें से 115.51 लाख रुपये की राशि नवीन

एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार और बकाया की 401.42 लाख की राशि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग विभाग, हरियाणा द्वारा उपलब्ध करवाई गई। 224 केवी क्षमता के 9 सौर विद्युत प्लांट्स और 333.60 लाख रुपये की लागत के 74 सौर उर्जा चालित पम्प किसानों को उपलब्ध करवाये गए जिसमें से नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 100.08 लाख रुपये और राज्य सरकार 100.08 लाख रुपये की उपलब्ध करवाई गई और बकाया राशि किसानों द्वारा वहन की गई।

(ii) सी०एफ०एल० आधारित सौर घरेलू प्रकाश संयंत्र

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, सी०एफ०एल० आधारित सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र जिलाने 37 वाट सोलर इतथा तीन साल का विस्तृत मुरम्मत अनुबन्ध होता है। हरियाणा के सभी निवासी इस संयंत्र को प्राप्त कर सकते है।

इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष में 2504 सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र मात्र लामाईकी को प्रदान किए गए जिन पर राज्य योजना से 100.15 लाख रुपये की राशि छर्च की गई। वर्ष के दौरान 3430/- रुपये प्रति उपकरण के हिसाब से 710 उपकरण का लक्ष्य प्राप्त करते हुये 24.35 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(iii) सौर पथ प्रकाश कार्यक्रम

विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अनुसूचित जाति बहुल गांव में सामाजिक सुरक्षा एवं जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना कर रहा है। यह स्ट्रीट लाईटों मुख्य स्थलों पर स्थापित की जाती है ताकि लोग स्वच्छतापूर्वक रात्रि में आन जान कर सके। वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में 500 सोलर स्ट्रीट लाईटें स्थापित की गई। इन लाईटों पर 4000 रुपये प्रति स्ट्रीट लाईट की दर से 20 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया गया।

(iv) सौर पावर प्लांट कार्यक्रम

घरेलू जरूरतों जैसे लाईट एवं पखे तथा छोटे व्यवसायिक प्रयोगों जैसे कम्प्यूटर आदि के लिए सौर ऊर्जा का बिजली के उत्पादन के लिए लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। वर्ष के दौरान राज्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार की 91.34 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 224 किलोवाट के 9 सोलर पावर प्लांट स्थापित किये गये।

(v) सौर उर्जा चालित पम्प कार्यक्रम

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इसके 21 जिलों का कुल क्षेत्रफल 44212 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। उर्जा किसी भी रूप में

हो सबसे अधिक मूल्यवान होती है। विद्युत की आवश्यकता कृषि और उद्योग में आई क्रान्ति के फलस्वरूप बढ़ गई है। परम्परागत स्त्रोतों से ये आवश्यकता पूरी करना कठिन हो रहा है क्योंकि ये स्त्रोत समाप्त हो रहे हैं। गैर-परम्परागत स्त्रोत अत्यधिक अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और उर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। मध्य एवं निम्न दर्जे के किसान सिंचाई के लिए डीजल पम्पों का प्रयोग कर रहे हैं ये पम्प वातावरण को दुषित करते हैं। सौर उर्जा चलिता पम्प इस प्रकार से किसानों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं एवं वे वातावरण के अनुकूल हैं।

वर्ष में हरेडा ने 74 पम्प [2HP(46) & 4.6 HP (28)] लगाए जिन पर 30 प्रतिशत अनुमान केन्द्रीय मंत्रालय 30 प्रतिशत अनुमान राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

1800 वाट पम्प की कीमत 2.9 लाख एवं 4800 वाट की कीमत 7.15 लाख रुपये है। पम्प पर दी गई अनुमान राशि का विवरण निम्न प्रकार से है-

| पम्प क्षमता | कुल गतिशील ईंध | सौर पी वी की कीमत | एक पम्प की लागत | भारत की सरकार का अनुदान | राज्य सरकार का अनुदान | लाभार्थी हिस्सा |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1800 वाट | 1800 | 290000/- | 87000/- | 87000/- | 116000/- | |
| 4800 वाट | 30 मी | 715000/- | 214500/- | 214500/- | 286000/- | |

किसानों को 74 पम्प 333.60 लाख रुपये में उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से केन्द्रीय सहायता 100.08 लाख रुपये तथा राज्य सहायता 100.08 लाख सम्मिलित है तथा शेष राशि किसानों द्वारा वहन की गई है।

3. सौर तापीय उर्जा कार्यक्रम

इस श्रेणी के अन्तर्गत सौर वाटर हीटिंग उपकरण कार्यक्रम, सौर कुकर (बॉक्स / डिश), आदित्य सॉलर शॉप और सौर निष्क्रिय वास्तुकला कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं-

(i) सौर वाटर हीटिंग कार्यक्रम

सौर गीजर प्रौद्योगिकि पारंपरिक उर्जा संस्क्षण के लिए सबसे व्यवहार्य नवीकरणीय उर्जा प्रौद्योगिकि में से एक है। एक 100 लीटर प्रतिदिन सौर गीजर सालाना 1500 युनिट बिजली बचाता है और इस से वातावरण में सालाना उत्सर्जित होने वाली 1.5 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड से बचा जा सकता है। विभाग की तरफ से घरेलू और समाजिक क्षेत्र में सौर गीजर को बढ़ावा देने के लिए राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा तीन साल तक रुपये 100/- प्रति 100 लिटर प्रतिदिन तक से लेकर 300 लिटर प्रतिदिन बिजली के बिल में भी छूट दी जाती है।

वर्ष 2012-2013 में राज्य सरकार ने सौर घरेलू क्षेत्र के सौर गीजर (एफको पी0 सी0) क्षेत्र में अनुदान राशि रुपये 2000/- प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र से लेकर 4 वर्ग मीटर तक सभी हरियाणा निवासियों तथा हरियाणा के सभी कर्मचारियों जो चण्डीगढ़ में रहते हैं उनको दी गई थी। सौर गीजर (ई0 टी0 सी0) अनुदान राशि रुपये 1000/- प्रति वर्ग मीटर से रुपये 3000 या 200 लिटर प्रतिदिन तक प्रदान की गई थी। इन उपकरणों के लिए रु 3300/- प्रति वर्ग मीटर सौर गीजर (एफको पी0 सी0) रुपये 3000 वर्ग मीटर (ई0 टी0 सी0) केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और सामाजिक क्षेत्र के लिए 70 प्रतिशत अनुदान राशि उल्लेख की गई थी। सॉलर सिटी कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद तथा गुडगांव में घरेलू क्षेत्र में सौर गीजर (एफको पी0 सी0) के लिए रुपये 6000/- प्रति 100 लिटर प्रतिदिन और रु 12000/- प्रति 200 लिटर प्रतिदिन और सौर गीजर (ई0 टी0 सी0) के लिए रुपये 3000/- प्रति 100 लिटर प्रतिदिन और रुपये 6000/- प्रति 200 लिटर प्रतिदिन की ग विशेष अनुदान राशि प्रदान की गई थी।

इस वर्ष में 11,300 लिटर प्रतिदिन के 5 सामाजिक क्षेत्र में सौर गीजर लगाये गए जिसमें रु. 15.00 लाख की अनुदान राशि दी गई और रु. 50.00 लाख की अनुदान राशि से घरेलू क्षेत्र सौर गीजर पर दी गई।

(ii) सौर कुकर कार्यक्रम

खाना पकाने के ईंधनों की बढ़ती हुई कीमतों एवं घटते हुये वन क्षेत्र को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि खाना पकाने के क्षेत्र में भी अल्प उर्जा स्त्रोतों का उपयोग किया जाये घरेलू एवं सामुदायिक खाना बनाने की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए सॉलर कुकर एक बहुत ही उपयोगी विकल्प है। सूर्य की उर्जा से खाना बनाने की दो विधियाँ हैं, बॉक्स टाईप कुकर व और डिश टाईप कुकर। वर्ष के दौरान 500 डिश टाईप सॉलर कुकर और 1000 बॉक्स टाईप सॉलर कुकर को भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई जिनमें से 1000 बॉक्स टाईप सॉलर कुकर खाना बनाने के क्षेत्र में उर्जा संस्क्षण के लिए वितरित किए गए तथा 500 डिश टाईप सॉलर कुकर की निविदा विचारधीन है।

(iii) आदित्य सॉलरशॉप स्कीम

नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अग्र उर्जा शॉप खोलने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली एवं बिक्री के उपरांत गरमता प्रदान करना है। इस वर्ष 9 नई शॉप जिला फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, अम्बाला, यमुनागढ़, पलवल, मेवात एवं श्रृंखर में खोली गई। इस वर्ष के अन्त तक अग्र उर्जा शॉप 16 जिलों में काम कर रही है जिसमें 9 जिले फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जींद, कैथल, कुश्नपुर, गरगाँव, पंचकुला एवं पानीपत भी सम्मिलित हैं।

4. बायोमास कार्यक्रम

निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा अक्षय ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएँ स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा नीति 2005 घोषित की गई थी। राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त बायोमास की गणना के लिए हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, हिसार के द्वारा एक अध्ययन कराया गया था। इस अध्ययन के अनुसार हरियाणा में अतिरिक्त बायोमास से लगभग 1019 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावनाएँ हैं। इस अतिरिक्त बायोमास के प्रयोग के लिए हरेखा द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है—

(i) बायोमास बिजली परियोजनाएँ

इस तकनीक के तहत कृषि कचरे को जलाकर भाप पैदा की जाती है जिससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा पैदा की गई बिजली को स्टेट ग्रिड में भेजा जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरेखा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा बायोमास विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष के दौरान आबंटित परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की गई तथा महेन्द्रगढ़ एवं भिवानी में लगने वाली बायोमास विद्युत परियोजनाएँ पूर्णता के अंतिम चरणों में थीं। मैसर्स डब्ल्यू.एस.बी. एनर्जी लिमिटेड, फगवाड़ा को फतेहाबाद के लिए आबंटित 7.5 मेगावाट की विद्युत परियोजना भूमि की व्यवस्था न हो सकने के कारण निरस्त की गई।

(ii) बायोमास सह-उत्पादन परियोजनाएँ

इस तकनीक में भी कृषि कचरे को जलाकर भाप पैदा की जाती है जिससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है तथा पैदा की गई बिजली को स्टेट ग्रिड में भेजा जाता है तथा भाप का भी प्रयोग प्रसंस्करण में किया जाता है। बायोमास सह-उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों में जहाँ औद्योगिक प्रक्रियाओं के सिरे भाप की आवश्यकता होती है वहाँ पहले बहुत अधिक दबाव पर भाप उत्पन्न की जाती है जिससे पहले बिजली पैदा की जाती है तथा उसके बाद भाप का प्रयोग उद्योग में किया जाता है।

वर्ष के दौरान 9.16 मेगावाट की 3 परियोजनाएँ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से मैसर्स एस.एस.ए. इंटरनेशनल, स्मालखा, पानीपत (1.06 मेगावाट), मैसर्स एन.डी. डिरिटलरीज, देवीली, अम्बाला (2.10 मेगावाट) एवं मैसर्स वैस्ट फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, करनाल (6 मेगावाट) में स्थापित की गई।

(iii) बायोमैस आधारित विद्युत परियोजनाएँ

बायोमैस एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जिससे पर्याप्त तथा शुर्गी की बीट एवं औद्योगिक कचरे से प्राप्त किया जा सकता है। इस गैस का प्रयोग तापीय ऊर्जा एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जा सकता है। इस वर्ष में 20 किलोवाट की एक परियोजना उत्पुञ्ज डेपरी प्राइवेट लिमिटेड, गाँव-सहरवा, हिसार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की 8 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता से स्थापित की गई।

5. लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र

इस तकनीक के अन्तर्गत बहते पानी की ऊर्जा से टरबाइन चलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है तथा उत्पादित बिजली को ट्रांसफार्मर द्वारा अपग्रेड करके स्टेट ग्रिड में उपयोग हेतु भेज दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएँ पर्यावरण एवं प्राकृतिक स्रोतों की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता एवं जल भी व्यर्थ नहीं जाता। हरियाणा को यमुना नदी के अलावा किसी भी दूसरी नदी को बाढ़नसो नदी का उद्दान नहीं है। हरियाणा के पास एक बड़ा नहरों का जाल है जो यमुना व सतलुज से पानी लेकर सिंचाई की जरूरतों को पूरा करता है। हरियाणा में, लगभग 90 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की वर्तमान क्षमता है। हरेखा ने प्रत्येक सम्भावित स्थान पर संभावित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रयास किया है।

लघु जल विद्युत संयंत्र के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नव एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार 1000 किलोवाट क्षमता तक की परियोजनाओं पर रुपये 12000 / किलोवाट केन्द्रीय वित्तीय सहायता देती है। 1 मेगावाट से 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं तक 1.20 करोड़ प्रथम मेगावाट + रुपये 20.00 लाख अतिरिक्त मेगावाट केन्द्रीय वित्तीय सहायता है।

वर्ष के दौरान, मूसापुर व खुडनी लघु जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए सिविल कार्य पूरा किया गया। परन्तु बहा नहर की खराब स्थिति के कारण जल प्रवाह कम रहा जिसकी वजह से इन परियोजनाओं को चालू नहीं किया जा सका। नहर को मरम्मत हेतु मामला सिंचाई विभाग के समक्ष उठाया गया। खजूरी, नैमति एवं अहमदपुर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात हरेखा द्वारा नियुक्त सलाहकार से आंकलन कराया गया। इस आंकलित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति सिंचाई विभाग को उनकी टिप्पणी हेतु भेजी गई जो कि वर्ष समाप्ति पर भी अपेक्षित थी।

इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 10 लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र 73.30 मेगावाट क्षमता के स्थापित किए जा चुके हैं।

6. संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम

बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पुष्प एवं कालिखरहित ईंधन है जिसमें 55 से 70 प्रतिशत मिथेन गैस होती है जो ज्वलनशील है। बायोगैस मवेशियों के गोबर, मानवीय गलमूत्र एवं जैविक पदार्थों से बायोगैस संयंत्र में डाइजैशन प्रोसेस द्वारा उत्पन्न होती है। जिससे सामान्यतः गोबरगैस के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से गोबर के उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। यह एक ही समय में खाना पकाने एवं बिजली बनाने दोनों में ही मदद करता है। इसके विपरीत महिलाओं एवं बच्चों को गोबर इकट्ठा करने एवं जलाऊ लकड़ी के भारी दंडलों को ढोने जैसे कठिन परिश्रम से भी बचाया जा सकता है। रसोईघरों में होने वाले धुएँ एवं खाना बनाने में लगने वाले अधिक समय को भी बचाया जा सकता है। इस संयंत्रों के लगाने से शहरों एवं गावों की स्वच्छता को बढ़ाया जा सकता है।

हरियाणा में संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु उन संस्थानों जैसे गऊषाला, दुग्ध डेरी आदि में जहाँ गोबर प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह स्कीम हरेडा द्वारा लागू की जा रही है। संस्थागत बायोगैस संयंत्र को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार संयंत्र की कुल लागत 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। बायोगैस संयंत्र की कुल लागत व राज्य अनुदान निम्न प्रकार है :-

| क्रम सं० | घननीटर | संयंत्र की लागत (रुपये) | राज्य अनुदान राशि (संयंत्र की कुल लागत का 40 प्रतिशत) रुपये |
|----------|--------|-------------------------|---|
| 1. | 25 | 3,18,000 | 1,27,200 |
| 2. | 35 | 5,05,000 | 2,02,000 |
| 3. | 45 | 5,97,000 | 2,38,800 |
| 4. | 60 | 7,56,000 | 3,02,400 |
| 5. | 85 | 9,89,000 | 3,95,600 |

राज्य अनुदान इन संयंत्रों की स्थापना व KVIC की ड्राईंग के अनुसार चालू होने व इस बारे में निर्धारित प्रोफर्म में जो कि लाभार्थी संस्थान टेकेंदार व जिला परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी के द्वारा सत्यापित तथा फोटो व खर्च का विवरण प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है।

वर्ष के दौरान तीन संस्थागत बायोगैस संयंत्र 255 क्यूबिक मीटर क्षमता के लगाए गए जास पर 9,02,054 रुपये राज्य अनुदान राशि के रूप दिए गए जो निम्न प्रकार है:-

| क्रम सं० | निर्माण स्थल | क्षमता | राज्य अनुदान राशि (रुपये) |
|----------|--|-----------------|---------------------------|
| 1. | वैदिक सदन आश्रम, गांव व डाकखाना-सादीपुर, यमुनागर | 85 क्यूबिक मीटर | 3,51,902 |
| 2. | दीप डापरी फार्म, गांव-भगाना, हिसार | 85 क्यूबिक मीटर | 3,06,610 |
| 3. | श्री बालाजी गऊशाला, गांव-मंगाली, हिसार | 85 क्यूबिक मीटर | 2,43,542 |

इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 6105 क्यूबिक मीटर क्षमता के कुल 104 संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

7. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा ने वर्ष 2012-13 के दौरान ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर नैटिड प्रमाण पत्र का पुरस्कार प्राप्त किया। लगभग 42 मेगावाट ऊर्जा, राज्य में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों द्वारा बचाई गई। राज्य सरकार से 275.00 लाख रुपये की राशि और ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो, भारत सरकार से 46.50 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है जिसमें 281.00 लाख रुपये की राशि ऊर्जा संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों पर उपयोग किए गए।

8. ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार स्कीम

ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना के अंतर्गत उद्योग, व्यावसायिक, सरकारी/अर्धसरकारी भवनों तथा शैक्षणिक संस्थानों को श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने भवनों/इकाइयों में बिजली की बचत करने के लिए विभिन्न ऊर्जा ईंधन संरक्षण उपायों को अपनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य उद्योग, व्यावसायिक, सरकारी/अर्धसरकारी भवनों एवं शैक्षणिक संस्थान श्रेणी के उपभोक्ताओं को ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों को पुरस्कार/प्रतिभा प्रमाण पत्र देकर पहचान देना है। इस योजना के अंतर्गत 0.50 लाख रुपये से लेकर 2.0 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान 11 संगठनों/अवेदकों को पुरस्कार दिए गए जोकि इस प्रकार है:-

| क्रम सं० | संस्थान का नाम/ ईमारत | पुरस्कार | पुरस्कार राशि |
|----------|---|-----------------|--|
| 1. | शाहबाद कोरपोरेटिव ग्रुप लिमिटेड, शाहबाद, जिला बुर्खोज | प्रथम | दो लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 2. | पानीपत रिवाइनेरी, पानीपत | द्वितीय | एक लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 3. | अल्पा टैंक सीमेंट गांव खारक, ईसरागा, पठाना रोड, जिला पानीपत | तृतीय | पचास हजार रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 4. | विस्तार जीएड लोन्गटैब मिलक प्रोड्यूसर यूनिट लिमिटेड, मिलक खाट, जीएड | प्रथम | एक लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 5. | मैन टैरिफिकेशन बिजिनेस, अम्बाला सिटी | प्रथम | दो लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 6. | मैन टैरिफिकेशन बिजिनेस, रेलवे रोड, किसान | द्वितीय | एक लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 7. | ओ.पी. जिनदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, स्लेनीपत | प्रथम | एक लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 8. | दीन रघु, झोट्टू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुश्कल, सोनीपत | द्वितीय | पचास हजार रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 9. | एम्.एम. कोलेज, कतौहाबाद | तृतीय | एक लाख हजार रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 10. | जाट धर्मशाळा, जीएड | प्रथम | एक लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह |
| 11. | डाक्टर पी.पी. गिलतल, 423, सेक्टर 21 ए, करीदबाद | सातवां पुरस्कार | पचास हजार रुपये और एक प्रमाण पत्र |
| कुल राशि | | | 10,75,000 / - |

9. ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने बारे रकमी

विभाग द्वारा उन ग्राम पंचायतों को, जिनके द्वारा अपने गांव में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित उपकरण लगाए हैं और ऊर्जा वगैरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि देने वाली योजना आरम्भ की गई। वर्ष के दौरान जिला व राज्य स्तर पर सराहनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए 23.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

10. अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया

पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त, 2012 को राज्य स्तरीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में पंढरगुला में सफलतापूर्वक मनाया गया। इस दिवस पर राज्य के सभी जिलों में पोस्टर प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, सैलोगन लेखन प्रतियोगिता, शैली तथा ग्रीनकरणीय ऊर्जा उपकरण पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रस्तरीय समारोह के बुनियादी ग्राम पंचायतों को अपने गांवों में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये खण्ड, जिला व राज्य स्तर पर किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये नगद पुरस्कार व तिलक देकर प्रोत्साहित किया गया।

11. सूचना प्रौद्योगिकी योजना

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत कार्यालय में सूचारु कार्य के लिए प्रम्प्टर तथा अन्य साफ्टवेयर को बढ़ावा दिया जाना है जिसके जलस्वरूप जिला कार्यालयों तथा मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना / डाटा जल्दी से त्यागनाशन किया जा सके। इसी कार्य हेतु विभाग द्वारा वार्षिक योजना में सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत बड़े साफ्टवेयर एवं तकनीक के कार्य के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है।

वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत 20.00 लाख रुपये की उपलब्ध करवाई गई।

12. बाल ऊर्जा रक्षक मिशन कार्यक्रम

किस्ती भी कार्यक्रम की सफलता के लिये उसमें युवा वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। इसीलिये विभाग ने अपने ऊर्जा रक्षक कार्यक्रम में छात्रों को सम्मिलित करने के लिये बाल ऊर्जा रक्षक मिशन कार्यक्रम तैयार किया है जिसका शुभारम्भ आज मानसरोवर मुख्य अतिथि द्वारा किया जायेगा। इस कार्यक्रम में हर जिले के 25 युवा युवा स्कुलों के आठवीं व नववीं के बच्चों को बाल ऊर्जा रक्षक के रूप में तैयार किया जायेगा। प्रथम चरण में यह कार्यक्रम गुडगांव के युवा युवा 25 स्कुलों में चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत ऊर्जा रक्षक, अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं स्थायी विकास से सम्बन्धित विषयों पर विशेष प्रशिक्षण एवं सभ्यता कार्यक्रमों के द्वारा 50 एनजी एजुकटल 50 एनजी लैडर्स और 500 बाल ऊर्जा रक्षक तैयार किये जायेंगे। ये ऊर्जा रक्षक अपने विद्यालयों एवं मंडलों में लगभग 25,000 विद्यार्थियों एवं लोगों में जागरूकता फैलायेंगे। यह कार्यक्रम जो कि अभी सेमल गुडगांव के 25 स्कुलों में चार्लवट बेरिस पर शुरू किया जा रहा है, धीरे-धीरे राज्य के दूसरे जिलों में भी चलाया जाएगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.50 लाख रुपये विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे निबन्ध लेखन, पोस्टर बनाने, वाद-विवाद आदि, ऊर्जा आडिट, ऊर्जा क्विज आदि पर खर्च किये गये।

13. ऊर्जा कुशल भवन कार्यक्रम

सौर ऊर्जा और गृहीय वातावरण की ऊर्जा के ऊर्जा प्रबंधन में समुचित उपयोग के साथ ऊर्जा सक्षम भवन निर्माण डिजाइन एवं निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग सोलर वैसिव वास्तुकला को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम चला रहा है। नवीन और नदीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे भवनों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए डी.पी.आर. की लागत का 50 प्रतिशत, (अधिकतम 2.00 लाख रूपए तक) की सहायता देता है। मंत्रालय सोलर वैसिव भवनों के निर्माण पर भी निर्माण लागत का 10 प्रतिशत, (अधिकतम 50.00 लाख रूपए तक) की वित्तीय सहायता देता है। राज्य सरकार से भी डी.पी.आर. बनाने के लिए भवन की लागत का 0.75 प्रतिशत (अधिकतम 25,000/- रूपए तक) तथा भवन निर्माण के लिए निर्माण लागत का 5 प्रतिशत (अधिकतम 5.00 लाख रूपए तक) की सहायता दी जाती है।

ऊर्जा सक्षम तकनीक पर आधारित कार्यालय भवन पंचकुला में सैक्टर-17 में बनाया गया है जिसके लिए वर्ष 2012-13 में 265.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

14. प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष के दौरान प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 20.00 लाख रुपये की राशि दी गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये-

- > अक्षय ऊर्जा पर प्रदर्शनीयां लगाई गई
- > जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया
- > महत्वपूर्ण स्थलों पर होर्डिंग्स लगवाए गए
- > सभी जिलों में दीवारों पर विज्ञापन छपवाए गए
- > विभिन्न जिलों प्रदर्शनी वाहन को जागरूकता हेतु भेजा गया
- > विभिन्न अखबारों तथा मंगजीनों में विज्ञापन छपवाए गए

15. चौकसी विभाग को मेजी गई शिकायतों सम्बन्धी

रिपोर्टींग अवधि के दौरान इस विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच/शिकायत चौकसी विभाग के विचारधीन नहीं है।

अंकुर गुप्ता,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग।

दिनांक चण्डीगढ़ :

21 जुलाई, 2016

वार्षिक योजना 2012-2013 स्कीम-वार खर्च का विवरण

| क्रम स्कीम का नाम | वार्षिक कार्य योजना 2012-2013 का वास्तविक खर्च (लाखों में) |
|--|---|
| 1. (i) 2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रशासनिक व्यवस्था/ गैर योजना | 59.34 |
| (ii) 2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत/गैर योजना | 70.00 |
| क. हरेखा की प्रशासनिक व्यवस्था | 25.00 |
| ख. ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन कार्यक्रम | 124.50 |
| ग. सौर घरेलू प्रकाश प्रणाली | 77.50 |
| घ. सोलर कुकर | 20.00 |
| ङ. आईटी प्लान | 14.00 |
| च. सीबीपी/आईडीपी/एनएसबीपी | 330.34 |
| योग (1) | 28.71 |
| 2. (i) 2810-NCSE प्रशासनिक व्यवस्था/योजना | 418.58 |
| (ii) 2810-NCSE योजना के अन्तर्गत ऊर्जा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर खर्च | 447.29 |
| कुल योग (i + ii) | 115.34 |
| 3. (i) 3425-ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम-राज्य योजना | 234.09 |
| (ii) 3425-ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम-गैर योजना | 349.43 |
| (i + ii) प्रशासनिक व्यवस्था पर खर्च | 1127.06 |
| कुल योग (1+2+3) | |

वर्ष 2012-2013 में अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा में पदों की स्थिति का विवरण

| क्रम सं० | पद संज्ञा/वर्तमान | स्वीकृत पदों की संख्या | 31.3.13 को मरे हुए पद | रिक्त |
|----------|---|------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | निदेशक | 1 | 1 | - |
| 2. | अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी) 37400-67000 ग्रेड पे 8700 | 1 | 1 | - |
| 3. | परियोजना निदेशक 15600-39100- ग्रेड पे 6400 | 1 | 1 | - |
| 4. | परियोजना अधिकारी 9300-34800- ग्रेड पे 4600 | 6 | 4 | 2 |
| 5. | लेखाधिकारी 9300-34800- ग्रेड पे 5400 | 1 | 1 | - |
| 6. | अधीक्षक 9300-34800- ग्रेड पे 4200 | 1 | 1 | - |
| 7. | निजी सचिव 9300-34800- ग्रेड पे 4200 | 1 | - | 1 |
| 8. | प्रोग्रामर 9300-34800- ग्रेड पे 4200 | 1 | 1 | - |
| 9. | निजी सहायक 9300-34800- ग्रेड पे 3600 | 1 | 1 | - |
| 10. | सहायक परियोजना अधिकारी/जूनियर अभियन्ता 9300-34800- ग्रेड पे 3300 | 6 | 3 | 3 |
| 11. | सहायक 9300-34800- ग्रेड पे 3200 | 2 | 1 | 1 |
| 12. | वरिष्ठ वर्तमान आधुनिक 9300-34800- ग्रेड पे 3200 | 2 | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 13. | चालक 5200-20200- ग्रेड पे 2400 | 3 | 3 | - |
| 14. | आयुक्तक 5200-20200- ग्रेड पे 1900 | 3 | 2 | 1 |
| 15. | लिपिक 5200-20200- ग्रेड पे 1900 | 4 | 3 | 1 |
| 16. | सेवादार 4440-7440- ग्रेड पे 1300 | 3 | 3 | - |
| 17. | स्वीपर 4440-7440- ग्रेड पे 1300 | 1 | 1 | - |
| 18. | चौकीदार 4440-7440- ग्रेड पे 1300 | 1 | 1 | - |
| कुल (1) | | 39 | 30 | 9 |
| क्षेत्रीय कार्यालय | | | | |
| 1. | परियोजना अधिकारी - 9300-34800- ग्रेड पे 4600 | 20 | 17 | 3 |
| 2. | सहायक परियोजना अधिकारी - 9300-34800- ग्रेड पे 3300 | 20 | 17 | 3 |
| 3. | तकनीकी सहायक 5200-20200- ग्रेड पे 2400 | 20 | 19 | 1 |
| 4. | आयुक्तक 5200-20200- ग्रेड पे 1900 | 12 | 10 | 2 |
| 5. | लिपिक एवं क्लर्क 5200-20200- ग्रेड पे 1900 | 20 | 18 | 2 |
| 6. | सेवादार 4440-7440- ग्रेड पे 1300 | 21 | 13 | 8 |
| कुल (2) | | 113 | 94 | 19 |
| कुल (1+2) | | 152 | 124 | 28 |

वर्ष 2012-2013 में हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास एजेन्सी में पदों की स्थिति का विवरण

| क्रम सं० | पद संज्ञा/वैतनमान | स्वीकृत पदों की संख्या | 31.3.13 को भरे हुए पद | रिक्त |
|----------|---|------------------------|-----------------------|-------|
| 1. | मुख्य वैज्ञानिक अभियन्ता अतिरिक्त 15600-39100- ग्रेड पे 8000 | 1 | 1 | - |
| 2. | वैज्ञानिक अभियन्ता-ए 15600-39100- ग्रेड पे 6000 | 1 | 1 | - |
| 3. | वरिष्ठ तकनीकी प्रबन्धक 9300-34800- ग्रेड पे 5400 | 2 | 1 | 1 |
| 4. | तकनीकी प्रबन्धक 9300-34800- ग्रेड पे 4200 | 3 | - | 3 |
| 5. | अनुभाग अधिकारी 9300-34800- ग्रेड पे 4600 | 1 | 1 | - |
| 6. | निजी सहायक 9300-34800- ग्रेड पे 3300 | 1 | 1 | - |
| 7. | सहायक 9300-34800 ग्रेड पे 3200 | 2 | 2 | - |
| 8. | वरिष्ठ वैतनमान अनुसूचिक 9300-34800- ग्रेड पे 3200 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | जूनियर लाईब्रेरीयन 5200-20200 ग्रेड पे 2400 | 1 | - | 1 |
| 10. | तकनीशियन 5200-20200- ग्रेड पे 2400 | 1 | 1 | - |
| 11. | लिपिक-कम-कैशियर 5200-20200- ग्रेड पे 1900 | 3 | 1 | 2 |

| क्र. सं० | पद संज्ञा/वैतनमान | 31.3.13 को भरे हुए पद | रिक्त | कुल |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 12. | बालक 5200-20200- ग्रेड पे 2400 | 2 | 2 | - |
| 13. | सेवादार 4440-7440- ग्रेड पे 1300 | 4 | 1 | 3 |
| | | 26 | 13 | 13 |

54757-A.A.R.E.-H.G.P.-Chd.